छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 2002

अधिसूचना क्रमांक 6776/5414/21–ब/छग/2002 रायपुर दिनांक 26 अक्टूबर 2002– विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का सं. 39) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से छत्तीसगढ़ सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 2002 है.
(2) ये ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगें जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना, द्वारा नियत करें.

2. परिभाषाएं :–

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987(1987 का सं. 39)

(ख) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष या यथास्थिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष या जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष या यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष,

(ग) "जिला प्राधिकरण" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा–9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

(घ) "उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 8 (क) के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति,

(ड,) "विधि व्यवसायी" का वही अर्थ होगा जो उसके लिये अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का. सं. 25) में दिया गया है।

(च) "सदस्य" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन नाम–निर्देष्ट राज्य प्राधिकरण का सदस्य या यथास्थिति, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन नाम निर्दिष्ट जिला प्राधिकरण का सदस्य,

(छ) "सचिव" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सदस्य सचिव या यथास्थिति धारा 8 (क) के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव या यथास्थिति धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव,

(ज) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा,

(झ) "राज्य प्राधिकरण" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण.

( ) "तालुक विधिक सेवा समिति" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 11–क के अधीन गठित तालुक विधिक सेवा प्राधिकरण.

(ट) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाशित न किए गए अन्य समस्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो कि उन्हें अधिनियम में क्रमशः दिए गए है.

3. धारा 6 की उपधारा (2) क खंड (ग) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अन्य सदस्यों की संख्या, अनुभव तथा अर्हताएं–

(1) राज्य प्राधिकरण में बीस से अनधिक सदस्य होगें,

(2) राज्य प्राधिकरण के पदेन सदस्य निम्नलिखित होगें :–

(क) राज्य का महाधिवक्ता,
(ख) मुख्य सचि, छत्तीसगढ़ शासन,
(ग) वित्त विभाग का प्रभारी सचिव,
(घ) गृह विभाग का प्रभारी सचिव,
(ड.) विधि और विधायी कार्य विभाग का प्रभारी सचिव,
(च) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार जनरल,
(छ) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग और छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति का अध्यक्ष,
( ) अभियोजन निर्देशक,
(ट) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय विधिक परिषद् बिलासपुर का अध्यक्ष,,
(ठ) जिला प्राधिकरण के दो सभापति जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जांए.
(ड) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का सदस्य सचिव,

(3) राज्य सरकार इन नियम के उपनियम (4) में विहित अनुभव तथा अर्हताएं रखने वाले सदस्यों में से अन्य तीन सदस्यों को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नाम–निर्दिष्ट कर सकेगी, उनमें से कम से कम एक महिला होगी.

(4) कोई भी व्यक्ति राज्य प्राधिकरण का सदस्य नाम–निर्देष्ट किये जाने के लिये तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह :–

(क) ऐसा सुप्रद्वि सामाजिक कार्यकर्ता न हो, जो अनुसूचित जातियों, महिलाओं, बालकों, ग्रामीण तथा नगरीय श्रमिकों को सम्मिलित करते हुए या जनता के कमजोर वर्गो के उन्नयन में लगा हुआ है.

या,

(ख) विधि के क्षेत्र में सुप्रसिद्व व्यक्ति न हो, या
(ग) एसा ख्यात व्यक्ति, जो कि विधिक सेवा स्कीम के क्रियान्वयन में विशेष रूप से रूचित न रखता हो.

4. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक, कार्यकारी अध्यक्ष और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष हेतु विशेष उपबंध :–

(1) राज्य विधिक प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक, कार्यकारी अध्यक्ष यदि वे उच्च न्यायाल के वर्तमान न्यायाधीश हों और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष, यथास्थिति राज्य प्राधिकरण अथवा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के कार्य के संबंध में की गयी यात्राओं के लिये यात्रा तथा दैनिक भत्ते के भुगतान के हकदार होंगे और यथास्थिति उक्त प्राधिकरण या समिति द्वारा हाईकोर्ट जज (ट्रेव्हलिंग एलाउन्स) रूल्स, 1956 के उपबंधों के अनुसार संदत्त किये जाएंगे.

(2) कार्यकारी अध्यक्ष यदि वे सेवानिवृत्त न्यायाधीश हों, राज्य प्राधिकरण, द्वारा स्टाफ कार तथा एक चालक दिया जाएगा तथा कार चालक के वेतन तथा भत्ते के साथ ही कार के रख–रखाव एवं मरम्मत के मद्दे व्यय उक्त प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएग.

(3) उपनियम (2) के अधीन उपलब्ध करायी गयी कार के लिये पेट्रोल के उपभोग की सीमा 100 लीटर प्रतिमाह या वास्तवित उपभोग जो भी कम हो, होगी,

(4) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक, कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा अध्यक्ष उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति प्रत्येक को, एस. टी. डी. सुविधा सहित टेलीफोन रूपए 24000/– वार्षिक अधिकतम व्यय सीमा सहित उपलब्ध करायी जाएगी.

5. कार्यकारी अध्यक्ष की पदावधि :–

(क) राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष जब उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश हो, सामान्यतया तीन वर्ष की कालावधि या अपनी सेवानिवृत्त जो भी कम हो पद धारण करेगा परन्तु वह सेवानिवृत्त के प चात् पुनः नाम–निर्दिष्ट किया जा सकेगा.

(ख) राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष यदि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, तो सामान्यताया वह तीन वर्ष की कालावधि के लिये पद धारण करेगा परन्तु वह एक और अवधि के लिये पुनः नाम–निर्दिष्ट किया जा सकेगा.

अधिसूचना संख्या फा. क्र. 7142/डी–2944/217ब/छ.ग./04– विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987), द्वारा प्रदत्त भाक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण नियम–2003 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः–

उक्त नियम में :–

नियम–5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

5. कार्यकारी अध्यक्ष की पदावधिः–

"राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष, चाहे वह उच्च न्यायालय का सेवारत् या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।"

6. कार्यकारी अध्यक्ष की सेवा शर्ते उस दशा में जबकि वह उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है

जहॉ राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधी ा है या अपनी पदावधि के दौरान राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष हो वहां–

(एक) उसकी निबंधन तथा शर्ते ऐसी होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग सी.एम. क्रमांक 19048/7/80 ई. चार. दिनांक 8 अक्टूबर 1987 में या ऐसे अन्य सुसंगत आदेशों में विनिर्दिष्ट है जो आयोगों/समितियों के नियुक्ति उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को लागू हैं.

(दो) उसे अभिदायी भविष्य निधि में अभिदाय करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा.

7. धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव की भाक्तियॉ तथा कृत्य :–

राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव की शक्तियॉ तथा कृत्य अन्य बातों के साथ निम्नानुसार होगें:–

(क) पात्र तथा कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवा देना,

(ख) राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदिन विधिक सेवा स्कीमों तथा कार्यक्रमों का रूपांकन तैयार करना तथा उनको प्रभावी ढ़ग से मानिटर किया जाना तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करना,

(ग) राज्य सरकार में विभागाध्यक्ष के रूप में प्रशासकीय गृह व्यवस्था, वित्त तथा बजट विषयों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करना,

(ध) राज्य प्राधिकरण की संपत्तियों, अभिलेख तथा निधियों का प्रबंध करना,

(ड.) राज्य प्राधिकरण के सही तथा उचित लेखे रखना जिनमें उसके संबंध में नियमकालिक जांच–पड़ताल तथा संपरीक्षा ाामिल हैं,

(च) उक्त प्राधिकरण का वार्षिक आय तथा व्यय लेखा तथा संतुलन पत्र तैयार करना,

(छ) सामाजिक कार्य समूहों और जिला तथा तालुक/तहसील/उपखंडीय विधिक सेवा प्राधिकरणों से संपर्क करना,

(ज) विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में समय–समय पर की गई प्रगति को सम्मिलित करते हुए आज दिनांक तक सम्पूर्ण सांख्यिकी जानकारी रखना,

(झ) वित्तीय सहायता के लिये प्रस्ताव तैयार करना और उसका उपयोग प्रमाण–पत्र जारी करना,

( ) राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों को आयोजित करना तथा विधिक सेवा कार्यक्रमों से संबंधित बैठकें/सेमीनार तथा कार्य शिविर बुलाना और रिपोर्ट तैयार करना तथा उसका अनुवर्ती कार्य करना,

(ट) विधिक सेवा कार्यक्रमों के विभिन्न पहुलओं के बारे में जनसाधारण को जानकारी देने के लिये वीडियों, वृतचित्र, प्रचार सामग्री बनाना या तैयार करना,

(ठ) ग्रामीण विवादों को सुलझाने पर जोर देना तथा ग्रामीणजनों की देहरी पर ही ग्रामीण विवादों को निपटाने के लिये प्रभावी तथा अर्थ विधिक सेवा के लिये स्कीम तैयार करने हेतु अतिरिक्त उपाय करना,

(ड.) ऐसे कृत्यों का पालन करना जो अधिनियम की धारा 4 के खण्ड (ख) के अधीन बनाये गये स्कीमों के अधीन उसे समनुदेशिक किये गये हों, और

(ढ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो राज्य प्राधिकरण के प्रभावी कार्यकरण के लिये समीचीन है।

8. धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्यों तथा सदस्य सचिव की पदावधि और उससे संबंधित अन्य भार्ते :–

(1) राज्य सरकार द्वारा नियम–3 के उपनियम (3) के अधीन नाम–निर्दिष्ट किए गए राज्य प्राधिकरण के सदस्य दो वर्ष की अवधि तक बने रहेगें।

(2) राज्य प्राधिकरण का काई सदस्य जो नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन नाम–निर्दिष्ट किया गया है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकेगा, यदि राज्य सरकार की राय में सदस्य के रूप में बना रहना वांछनीय नही है.

(3) यदि ऐसा कोई सदस्य जो नियम 2 के उपनियम (3) के अधीन नाम–निर्दिष्ट किया गया है, किसी कारण से राज्य प्राधिकरण का सदस्य न रहे तो रिक्ति की पूर्ति मूल

नाम–निर्देशन के अनुसार की जाएगी और इस प्रकार निर्दिष्ट व्यक्ति, उस व्यक्ति की जिसके कि स्थान पर उसे नाम–निर्दिष्ट किया गया है, शेष अवधि के लिये सदस्य के रूप में बना रहेगा.

(4) ऐसे समस्त सदस्य जो नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन नाम–निर्दिष्ट किये गये है, राज्य प्राधिकरण के कार्य के संबंध में की गयी यात्राओं के लिये यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते का

भुगतान किये जाने का हकदार होगें तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा उन्हें समय–समय पर संशोधित उप नियमों के अनुसार भुगतान किया जाएगा जो कि ग्रेड–1 अधिकारियों को लागू होते है,

(5) यदि नाम–निर्दिष्ट सदस्य ाासकीय सेवक है तो वह या तो अपने पैतृक विभाग के अथवा यथास्थिति राज्य प्राधिकरण से सिर्फ एक मद से यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता का हकदार होगा,

(6) राज्य प्राधिकरण का सदस्य सचिव पूर्णकालिक कर्मचारी होगा तथा समान्यतया प्रतिनियुक्ति पर तीन वर्ष की कालावधि के लिये पद धारण करेगा,

(7) सेवानिवृत्त की आयु, वेतन तथा भत्ते, प्रसुविधाएं तथा हकदारी और अनुशासनिक विषयों जैसे सेवा शर्तो से संबंधित समस्त विषयों में सदस्य सचिव राज्य सरकार के नियमों तथा द्वारा शासित होगें तथा राज्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर होगा. वह उस विशेष वेतन का हकदार होगा जैसा कि राज्य सरकार के अधीन उस वर्ग के लिये प्रतिनियुक्ति पर लागू है.

9. प्राधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या :–

धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन राज्य प्राधिकरण में सचिवीय सहायता देने के लिये दिन–प्रतिदिन के कृत्यों के लिये उतनी ही संख्या में अधिकारी व अन्य कर्मचारी होंगे जैसा कि इन नियमों की अनुसूची–क में विनिर्दिष्ट हैं.

10. धारा–6 की उपधारा (6) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा भार्ते और वेतन तथा भत्ते :–

(1) राज्य प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी इन नियमों के अनुसूची–क में प्रत्येक पद के समान दर्शाये गये वेतनमान में वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होगें.

(2) सेवानिवृत्त की आयु, वेतन तथा भत्ते, प्रसुविधाएं तथा हकदारी और अनुशासकनिक विषयों जैसे समस्त विषयों में राज्य प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी उन नियमों से शासित होंगे जो इन नियमों के नियम 23 के अधीन बनाए गए हैं.

अधिसूचना क्रमांक 1030/डी–4911/21–बी/छ.ग./04 रायपुर दिनांक 11.01.2004 के अनुसार नियम 10(2) में निम्न अनुसार संशोधन समाविष्ट किया गया :–

"सेवानिवृत्त की आयु, वेतन तथा भत्ते, प्रसुविधाएं तथा हकदारी और अनुशासनिक विषयों जैसे समस्त विषयों में राज्य प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी उन नियमों से भाासित होंगे जो उच्च न्यायालय छत्तीसगढ/राज्य सरकार के समान पदों पर लागू है।

11. धारा 8–क की उपधारा (3) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव का अनुभव तथा अर्हताएं :–

कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव नियुक्त किये जाने के लिये जब तक अर्ह नहीं होगा तब तक कि वह उच्च न्यायालय का ऐसा अधिकारी न हो जो छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा का सदस्य रहते हुए अतिरिक्त रजिस्ट्रार से निम्न श्रेणी का न हो.

12. धारा 8 (क) की उपधारा (5) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या और उस उपधारा (6) के अधीन उन्हें भुगतान किये जाने वाला वेतन तथा भत्ता :–

(1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिवीय सहायता देने के लिये तथा उसके दिन–प्रतिदिन के कृत्यों के लिये उतनी संख्या में अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी होगें जैसे कि उक्त नियमों की अनुसूची–ख में विनिर्दिष्ट है.

(2) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी और कर्मचारी इन नियमों की अनुसूची–ख में प्रत्येक पद के सामने दर्शाये गये वेतनमान में अथवा मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियम किए गए अनुसार वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने के हकदार होगें,

(3) सेवानिवृत्त की आयु, वेतन तथा भत्ते, प्रसुविधाएं तथा हकदारी और अनुशासनिक विषयों जैसे समस्त विषयों में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी उन नियमों से शासित होंगे जैसा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय/राज्य सरकार, यथा स्थिति में समतुल्य पद धारण करने वालों को लागू होते है.

अधिसूचना क्रमांक 1030/डी–4911/21–बी/छ.ग./04 रायपुर दिनांक 11.01. 2004 के अनुसार नियम 10(2) में निम्न अनुसार संशोधन समाविष्ट किया गया :– "सेवानिवृत्त की आयु," के पश्चात् शब्द "पेंशन" अन्तः स्थापित किया जाए।

13. धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन जिला प्राधिकरण के सदस्यों की संख्या अनुभव तथा अर्हताएं :–

(1) जिला प्राधिकरणों आठ सदस्यों से अनाधिक सदस्य होगें।

(2) निम्नलिखित जिला प्राधिकरण के पद्ेन सदस्य होगें :–

(एक) जिला मजिस्ट्रेट,
(दो) जिला पुलिस अधीक्षक,
(तीन) जिले का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और
(चार) जिला शासकीय अभिषक,

(3) राज्य सरकार, मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उन व्यक्यिों में से जो उपनियम (4) में विहित अर्हताएं तथा अनुभव रखते हैं अन्य सदस्यों को नाम निर्दिष्ट कर सकेगी,

(4) कोई भी व्यक्ति जिला प्राधिकरण का सदस्य नाम–निर्दिष्ट किये जाने के लिये अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह :–

(क) ऐसा सुप्रसिद्व सामाजिक कार्यकर्ता न हो जो अनुसूचित जातियों, महिलाओं, बालकों, ग्रामीण तथा नगरीय श्रमिकों को सम्मिलित करहे हुए या जनता के कमजोर वर्गो के समुन्नति में लगा हुआ है,

या

(ख) विधि के क्षेत्र में या सुप्रसिद्व व्यक्ति न हो, या

(ग) ऐसा सुप्रसिद्व व्यक्ति जो कि विधि सेवा स्कीमों के क्रियान्वयन में विशेष रूप से रूचि न रखता हो,

14. धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन जिला प्राधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या :–

जिला प्राधिकरण में सचिवीय सहायता देने के लिये दिन–प्रतिदिन के कृत्यों के लिये उतनी ही संख्या में अधिकारी व अन्य कर्मचारी होंगे जैसा कि इन नियमों की अनुसूची–ग में विनिर्दिष्ट है,

15. धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन जिला प्राधिकरण के अधिकारियों की सेवा भार्ते और वेतन तथा भत्ते :–

(1) जिला प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी इन नियमों के अनुसूची–ग में प्रत्येक पद के सामने दर्शाये गये वेतनमान में वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होगें,

(2) सेवानिवृत्त की आयु, वेतन भत्ते, प्रसुविधाएं तथा हकदारी और अनु ाासनिक विषयों जैसे समस्त विषयों में जिला प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी उन नियमों से ाासित होंगे जो अधीनस्थ न्यायालयों के अनुसचिवीय कर्मचारियों को लागू होते है.

अधिसूचना क्रमांक 1030/डी–4911/21–बी/छ.ग./04 रायपुर दिनांक 11.01. 2004 के अनुसार नियम 10(2) में निम्न अनुसार सं ोधन समाविष्ट किया गया :–

"सेवानिवृत्त की आयु," के पश्चात् शब्द "पेंशन" अन्तः स्थापित किया जाए।

16. धारा 11 (क) की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव तथा अर्हताएं :–

(1) तालुक विधिक सेवा समिति में पांच सदस्यों से अनाधिक सदस्य होगें,

(2) निम्नलिखित तालुक विधिक सेवा समिति के पद्ेन सदस्य होगें :–

(एक) सब कलेक्टर,
(दो) उपखण्डीय पुलिस अधिकारी,
(तीन) स्थानीय और ऐसोसियेशन का अध्यक्ष,

(3) राज्य सरकार मुख्य न्यायमूर्ति के पराम र्श से ये उन व्यक्तियों में से जो उपनियम (4) में विहित अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों, अन्य सदस्यों को नाम–निर्दिष्ट कर सकेगी :–

(क) ऐसा सुप्रसिद्व सामाजिक कार्यकर्ता न हो, जो अनुसूचित जातियों, महिलाओं, बालकों, ग्रामिण तथा नगरीय श्रमिकों को सम्मिलित करते हुए या जनता के कमजोर वर्गो के समुन्नति में लगा हुआ है,

या,

(ख) विधि के क्षेत्र में सुप्रसिद्व व्यक्ति न हो, या

(ग) ऐसा सुप्रसिद्वा व्यक्ति, जो कि विधिक सेवा स्कीमों के क्रियान्वयन के विशेष रूप से रूचि न रखता हो.

17. धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के अधिकारियों की संख्या :–

तालुक विधिक सेवा समिति में सचिवीय सहायता देने के लिये दिन–प्रतिदिन के कृत्यों के लिये उतनी ही संख्या में अधिकारी व अन्य कर्मचारी होंगे कि इन नियमों की अनुसूची–घ में विनिर्दिष्ट हैं.

18. धारा 11 (क) की उपधारा (4) के अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा भार्ते और वेतन तथा भत्ते :–

(1) तालुक विधिक सेवा समिति के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी इन नियमों के अनुसूची–घ में प्रत्येक पद के सामने दर्शाये गये वेतनमान में वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होगें,

(2) सेवानिवृत्त की आयु, वेतन तथा भत्ते, प्रसुविधाएं तथा हकदारी और अनुशासनिक विषयों जैसे सेवा शर्तो से संबंधित समस्त विषयों में जिला प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी उन सेवा नियमों से ाासित होंगे जो अधीनस्थ न्यायालयों के अनुसचिवीय कर्मचारियों को लागू होते है.

अधिसूचना क्रमांक 1030/डी–4911/21–बी/छ.ग./04 रायपुर दिनांक 11.01.2004 के अनुसार नियम 10(2) में निम्न अनुसार सं ाोधन समाविष्ट किया गया :–

"सेवानिवृत्त की आयु," के पश्चात् शब्द "पेंशन" अन्तः स्थापित किया जाए।

20. धारा 19 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न लोक अदालतों के व्यक्तियों का अनुभव तथा विशेषतायें :–

कोई भी व्यक्ति लोक अदालत की न्यायपीठ (बेंच) में सम्मिलित किए जाने के लिये तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह.

(क) ऐसा विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता न हो, जो अनुसूचित जातियों, महिलाओं, बालकों, ग्रामिण तथा नगरीय श्रमिकों को सम्मिलित करते हुए या जनता के कमजोर वर्गो के समुन्नति में लगा हुआ है, या,

(ख) प्रतिष्ठित वकील न हो, या

(ग) ऐसा सुप्रसिद्वा व्यक्ति, जो कि विधिक सेवा स्कीमों के क्रियान्वयन में रूचि रखता हो.

21. विषय जिनमें विधि सेवा अनुज्ञेय है :–

अधिनियम की धारा 13 के साथ पठित धारा 12 के अधीन आने वाले मामलों के अतिरिक्त विधिक सेवा ऐसे सभी मामले में उपलब्ध करायी जाएगी जहां ऐसी सेवा का उद्दे यः–.

(क) विवाद के पक्षकारों के बीच सुलह द्वारा विवाद का सौहार्दपूर्ण समझौता करवाना हो, और

(ख) साधारण जनता या उसके किसी भाग के लिये केन्द्रीय सरकार या छत्तीसगढ़ ाासन या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण की ओर से या द्वारा प्रयोजित विभिन्न योजनाओं के अधीन लाभ उठाने के उद्दे य से विभिन्न अपेक्षाओं को अनुपालन करने में सहायता करना हो.

22. विधि सेवा उपलब्ध कराने के तरीके :–

विधिक सेवा निम्नलिखित समस्त या उनमें से कोई एक या अधिक तरीकों से दी जा सकेगी. अथात्ः–

(क) कोर्ट फीस, आदेशिका फीस, साक्षियों तथा पेपर कुक के व्यय, वकील फीस और विधिक कार्यवाहियों के संबंध में देय अन्य समस्त प्रभार,

(ख) विधिक कार्यवाहियों में विधिक व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व के माध्यम से.

(ग) विधिक कार्यवाहियों में निर्णयों, आदेशों, साक्ष्य की टिप्पणियों तथ अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के प्रदाय द्वारा.

(घ) विधिक कार्यवाहियों में पेपर बुक तैयार करना जिसमें दस्तावेजों का मुद्रण, टंकण तथा अनुवाद सम्मिलित है,

(ड.) विधिक दस्तावेजों के प्रारूपण द्वारा तथा

(च) किसी विधिक मामले में विधिक सलाह देकर.

23. राज्य प्राधिकरण का मुख्यालय तथा कार्यालय :–

राज्य प्राधिकरण का मुख्यालय तथा कार्यालय बिलासपुर में उपस्थित होगा जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान है.

24. विधिक सहायता कार्यक्रमों चलाए जाने के संबंध में उत्पन्न कठिनाईयों का निराकरण :–

मुख्य संरक्षक विधिक सहायता कार्यक्रमों के प्रकरणों के विषय में विधिक सहायता जो पूर्व से ही प्रदान की जा रही हैं और विधिक सहायता कार्यक्रम जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन के पूर्व ही नियोजित किए जा चुकें है, व्यय प्राधिकृत तथा अनुमोदित कर सकेगा.

25. अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती तथा नियुक्ति की रीति :–

(क) कार्यकारी अध्यक्ष ऐसी रीति से राज्य सरकार द्वारा अवधारित अनुमोदन के विषय में, मुख्य संरक्षक से परामर्श के पश्चात्, कर सकेगा.

(ख) कार्यकारी अध्यक्ष, मुख्य संरक्षक के परामर्श के पश्चात्. प्राधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का स्थानान्तरण और पदस्थापना करेगा.

26. निरसन तथा व्यावृति :–

छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 एतद् द्वारा निरसित किए जाते है परन्तु इस प्रकार निरसित किन्हीं भी नियमों के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्यवाही के बारे में जब तक ऐसी कोई बात या कार्यवाही इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से असंगत न हो, वह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है.

अनुसूची–क
(नियम 9 देखिये)
क. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

क्र	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सचिव, जिला न्यायाधीश संवर्ग में छत्तीसगढ़ उच्चतम न्यायिक सेवा से.	स्वयं के वेतनमान पर	01	–
2.	उप–सचिव, न्यायिक दंडाधिकारी संवर्ग में छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा से.	स्वयं के वेतनमान पर	01	–
3.	अवर सचिव, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 संवर्ग में छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा से.	स्वयं के वेतनमान पर	01	
4.	लेखाधिकारी	8000–13500	01	
5.	कार्यपालक अध्यक्ष के निज सचिव	6500–10500	01	
6.	विधिक सहायता अधिकारी	6500–10500	17	
7.	लेखा निरीक्षक	6500–10500	01	
8.	अधीक्षक	5500–9000	01	
9.	निजी सहायक या सचिव का शीघ्रलेखक	4500–7000	01	
10.	सहायक लेखा परीक्षक	4500–7000	01	
11.	लेखापाल	4000–6000	01	
12.	सहायक प्रोटोकाल अधिकारी	4000–6000	01	
13.	सहायक ग्रेड–2	4000–6000	04	
14.	सहायक ग्रेड–3	3050–4590	15	
15.	कम्प्यूटर आपरेटर	3050–4590	02	
16.	वाहन चालक	3050–4590	02	
17.	दफ्तरी	2010–3540	01	
18.	भृत्य	2550–3200	12	
19.	फर्राश	2550–3200	01	
20.	वटरमैन	2550–3200	01	
21.	चैकीदार	2550–3200	01	
22.	स्वीपर	2550–3200	01	
23.	प्रोसेस सर्वर	2550–3200	06	

अनुसूची–ख
(नियम 11 देखिये)

ख. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

क्र	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सचिव, छत्तीसगढ़ उच्चतम न्यायिक सेवा से का सदस्य जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अतिरिक्त रजिस्ट्रार की पद श्रेणी से निम्न न हो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधी । द्वारा नियुक्त किया जाएगा.		01	–
1.	भीाद्यलेखक	5000–8000	01	–
2.	लेखापाल (प्रभिाक्षित)	4500–7000	01	
3.	सहायग ग्रेड–2	4000–6000	01	
4.	सहायक ग्रेड–3	3050–4590	06	
5.	भृत्य	2550–3200	04	
6.	प्रोसेस सर्वर	2550–3200	05	

अनुसूची–ग
(नियम 11 देखिये)
ग. जिला विधिक सेवा समिति

क्र	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सचिव, छत्तीसगढ़ उच्चतम न्यायिक सेवा में कार्यरत् अधिकारी में से कोई एक अधिकारी जो राज्य प्राकारी द्वारा जिला प्राधिकारी के अध्यक्ष से परामर्श क पश्चात् नियुक्त किया जाएगा.		01	–
	सहायग ग्रेड–2	4000–6000	10	
	सहायक ग्रेड–3	3050–4590	14	
	प्रोसेस सर्वर	2550–3200 +75 अतिरिक्त भत्ता	14	
	भृत्य,	2550–3200	07	